भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2608
उत्तर देने की तारीख 07 अगस्त, 2024

दूरसंचार क्षेत्र की खराब वित्तीय स्थिति

2608. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों की खराब वित्तीय स्थिति का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र की कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए निकट भविष्य में किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय संकट की समस्या को हल करने के लिए सितंबर, 2021 में दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों को अनुमोदन दिया है जो निम्नानुसार हैं:

i. समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा को तर्कसंगत बनाना।
ii. लाइसेंस शुल्क (एलएफ)/स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों (एसयूसी) के विलंब से भुगतान के लिए ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाना और जुर्माने को हटाना।
iii. बैंक गारंटियों को तर्कसंगत बनाना।

iv. सितंबर, 2021 के बाद आयोजित नीलामी में अधिग्रहित स्पेक्ट्रम पर स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों (एसयूसी) की लेवी को हटाना।

v. सितंबर, 2021 के बाद आयोजित नीलामी के लिए 20 समान वार्षिक किस्तों में स्पेक्ट्रम नीलामी बोलियों के भुगतान का प्रावधान।

vi. सितंबर, 2021 के बाद आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी में वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) के साथ वार्षिक आस्थगित स्पेक्ट्रम किस्त के प्रतिभूतिकरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

vii. सितंबर, 2021 के बाद आयोजित स्पेक्ट्रम अधिग्रहित नीलामी के लिए 10 साल बाद स्पेक्ट्रम को सरेन्डर करने की अनुमति दी जाएगी।

viii. समायोजित सकल राजस्व निर्णय और पिछली नीलामियों में खरीदे गए स्पेक्ट्रम से उत्पन्न बकायों के वार्षिक भुगतान में चार वर्ष तक का मोरेटोरियम/स्थगन। मोरेटोरियम अभी जारी है और ये वित्त वर्ष 2024-2025 में समाप्त होगा।

ix. निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में लागू सुरक्षा उपायों के साथ स्वचालित रूट के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

ये सुधार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, लिक्विडिटी को बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर विनियामक बोझ को कम करने के लिए शुरू किए गए थे।

*****